

समक्ष सदस्य सचिव उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून ।

शपथकर्ता

नाम:.....

पता.....

.....

1. मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मेरा उपरोक्त नाम व पता सही है ।
2. मैं मै0.....उद्योग का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूँ ।
3. मेरा उद्योग मै0मे (कच्चा माला) प्रयोग कर प्रतिदिन उत्पादन करूँगा ।
4. मेरे द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथा संशोधित तथा परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्ध एवं हथालन नियम 1989 यथा संशोधित व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 तथा उपकर अधिनियम के सभी प्राविधानों का पूर्ण रूप से जानकारी रखता हूँ ।
5. मेरे द्वारा प्रस्तावित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा व वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का उत्पादन करने से पूर्व की स्थापना दिये गये प्रस्ताव के अनुरूप उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व स्थापित कर लिया है एवं इसकी प्रगति से बोर्ड को अवगत करूँगा ।
6. मेरे द्वारा उद्योग में उत्पादन बोर्ड से नियमानुसार सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा ।
7. किसी भी प्रकार की जल व वायु मृदा तथा ध्वनि प्रदूषण या ठोस अपशिष्ट परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन बोर्ड मानको के अनुरूप न पाई जाने पर बोर्ड द्वारा वर्णित अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु बोर्ड स्वंत्रत रहेगा जो मेरे को स्वीकार होगा ।
8. बोर्ड से निर्गत स्थापनार्थ सहमति की शर्तों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा एवं उक्त की अनुपालन आख्या समय-समय पर प्रस्तुत करूँगा ।
9. मेरे द्वारा बोर्ड में आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रपत्र बोर्ड मानको के अनुरूप ही जमा कराये गये हैं व साथ ही बोर्ड द्वारा निर्धारित सहमति शुल्क भी बोर्ड कार्यालय जमा कराया गया है ।

शपथकर्ता.....